उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-1(अधि०)
संख्या- 07/2024/ आई/675512/2024, फाइल संख्या- 92-1/215/2023
लखनऊः दिनांक 25 जून, 2024

नियुक्ति/विज्ञप्ति

सम्मिलित राज्य अभियन्त्रण सेवा (सामान्य/विशेष) परीक्षा-2013 में उत्तर प्रदेश राज्य के अलावा अन्य राज्य की महिलाओं को भी महिला आरक्षण का लाभ प्रदान करने हेतु मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या-30826/2019 'अंजली शुक्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य' में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.02.2023 के क्रियाशील अंश निम्नवत् हैं:-

> "An advertisement was issued by the Commission on 24.12.2013. The advertisement, as per the Government Order dated 09.01.2007, provided women reservation only to the domicile of State of U.P. and not to women of other States.
>
> The said Government Order was under challenge in Writ-A No.11039 of 2018; Vipin Kumar Maurya and Others Vs. State of U.P. and Others and connected matters. The said writ petition was allowed by judgment and order dated 16.01.2019 and clause-4 of the Government Order dated 09.01.2007, to the extent it restricted benefit of reservation to the women, domicile of State of U.P. alone, was declared ultra vires to Article 16(2) & 16(3) of the Constitution of India. The result is declared in May, 2019. The select list is declared without taking into consideration the aforesaid judgment of this Court whereby the Government Order to the extent of reservation for women stands modified.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Respondents are directed to prepare the fresh select list with regard to selected women candidates as per directions contained in judgment and order dated 16.01.2019 passed this court.

2- मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ में रिट योजित याचिका संख्या-30826/2019 'अंजली शुक्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य' में पारित मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 03.02.2023 एवं तत्क्रम में योजित अवमानना याचिका (सिविल) संख्या-1469/2023 'अंजली शुक्ला बनाम डा0 देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन' में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.09.2023 के अनुपालन में कार्मिक अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन द्वारा पत्र संख्या-105/रिट/सैंतालीस/का-4-2023, दिनांक 31.10.2023 के माध्यम से मा0 लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या- -251/01/सी-3/2019-2020, दिनांक 16.10.2023 की प्रति उपलब्ध कराते हुए सम्मिलित राज्य अभियन्त्रण सेवा परीक्षा-2013 का संशोधित परिणाम के आधार पर ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में नवीन चयनित (02), अतिरिक्त हो गये अर्थात चयन से बाहर हो गये अभ्यर्थी (06) तथा ऐसे अभ्यर्थियों (08)जिनका विभाग परिवर्तित हुआ है, को रिक्त/अधिसंख्य पदों के सापेक्ष समायोजित करने के सम्बन्ध में नीतिगत निर्णय लेने बाद ही आयोग द्वारा प्रेषित संस्तुतियों पर अग्रेतर कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी।

3- उक्त अपेक्षानुक्रम में प्रश्नगत संशोधित परिणाम में नवीन चयनित, अतिरिक्त हो गये अर्थात चयन से बाहर हो गये अभ्यर्थी तथा ऐसे अभ्यर्थियों जिनका विभाग परिवर्तित हुआ है, को विभाग में रिक्त/ अधिसंख्य पदों के सापेक्ष समायोजित करने के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से नीतिगत निर्णय लिया गया। उक्त के सम्बन्ध में शासन द्वारा कार्यालय आदेश संख्या-आई/492748/2024, फाइल सं0-92-1/215/2023, दिनांक 12.02.2024 निर्गत किये गये।

4- सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-13, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या आई/201182/2024, फाइल संख्या-27-13001(099)/61/2023, दिनांक 21.02.2024 के माध्यम से सम्मिलित राज्य अभियन्त्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2013 के संशोधित परिणाम के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जिनका विभाग परिवर्तन हुआ है, का सम्बन्धित विभाग से नियुक्ति पत्र जारी होने के उपरान्त कार्यमुक्त किये जाने की कार्यवाही सम्पन्न किये जाने के आदेश पारित किये गये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-13, उ0प्र0 शासन द्वारा पत्र संख्या-232/27-13-2024, दिनांक 22.03.2024 के माध्यम से सम्मिलित राज्य अभियन्त्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा-2013 के परिणाम संशोधन के आधार पर 07 अभ्यर्थियों (जो वर्तमान में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में कार्यरत हैं तथा जिन्हें संशोधित परिणाम में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग आवंटित हुआ है) को नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु उक्त अभ्यर्थियों के चिकित्सा प्रमाण पत्र, चरित्र एवं प्रागवृत्त सत्यापन प्रपत्र तथा अन्य सेवा अभिलेख/सेवा विवरण उपलब्ध कराते हुए अग्रेतर कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।

5- मा0 उच्च न्यायालय, बेन्च लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.02.2023, मा0 लोक सेवा आयोग द्वारा पत्र दिनांक 16.10.2023 द्वारा की गयी संस्तुति, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में सक्षम स्तर से लिये गये निर्णय तथा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये उक्त 07 अभ्यर्थियों के चिकित्सा प्रमाण पत्र, चरित्र एवं प्रागवृत्त सत्यापन प्रपत्र तथा अन्य सेवा अभिलेख/सेवा विवरण के क्रम में मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ में रिट योजित याचिका संख्या-30826/2019 'अंजली शुक्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य' में पारित मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 03.02.2023 एवं तत्क्रम में योजित अवमानना याचिका (सिविल) संख्या-1469/2023 'अंजली शुक्ला बनाम डा0 देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन' में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.09.2023 के अनुपालन में सम्मिलित राज्य अभियन्त्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा-2013 के परिणाम संशोधन के आधार पर निम्नवत् 07 अभ्यर्थियों, जो वर्तमान में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में कार्यरत हैं तथा जिन्हें संशोधित परिणाम में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग आवंटित हुआ है, को ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर छठे वेतनमान, वेतन बैण्ड-3, रू0-15600-39100, ग्रेड पे-5400/- (सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 में रू0-56100-177500) में अस्थायी रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्र0सं0	अनुक्रमांक	नाम (सुश्री)	पता
01	016769	वैशाली राजभर	सुश्री वैशाली राजभर पुत्री श्री राम मूर्ति, 37-ए, यूनाइटेड सिटी, जानकीपुरम, लखनऊ, उ0प्र0-226021

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

02	000946	अमृता शेखर	सुश्री अमृता शेखर पुत्री श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, 765, सीताकुण्ड, सिविल लाइन्स-1, सुल्तानपुर, उ0प्र0, पिन-228001
03	003484	आस्था गोयल	सुश्री आस्था गोयल पुत्री श्री राजेश गोयल, म0नं0-704बी, हरिकृपा रेजीडेन्सी, बेतियाहांता, थाना-कैंट, गोरखपुर, पिन-273001
04	008979	मनीषा तोमर	सुश्री मनीषा तोमर पुत्री श्री वीरेन्दर सिंह, प्लॉट नं0-39, फ्लैट नं0-01, एवीटेक एपार्टमेन्ट, गाजियाबाद, उ0प्र0-201005
05	000865	अपराजिता सिंह	सुश्री अपराजिता सिंह पुत्री श्री सुभाष राम, ग्रा0 व पो0-भुल्लनपुर, थाना-मण्डुवाडीह, जनपद-वाराणसी, पिन-221108
06	025165	अंजना शुक्ला	सुश्री अंजना शुक्ला पुत्री श्री अनूप शुक्ला, 45-82, मूलगंज, मेस्टनरोड, बड़ा चौराहा, कानपुर (अर्बन), उ0प्र0-208001
07	034089	स्वाति सोनकर	सुश्री स्वाति सोनकर पुत्री श्री रघुबर सोनकर, ए-1947, आवास विकास हंसपुरम, नौबस्ता, कानपुर नगर, उ0प्र0, पिन-208021

4- उपरोक्त अस्थायी नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन हैं:-

(1) उनकी सेवायें उ0प्र0 ग्रामीण अभियन्त्रण (समूह-ख) सेवा नियमावली, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों से शासित होंगी तथा ऐसी अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायें।

(2) उ0प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 जो उ0प्र0 के समस्त सरकारी सेवकों की सेवा नियमावलियों पर अध्यारोही प्रभाव से लागू हैं, के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हों, तो नियुक्ति पत्र की प्राप्ति के **एक माह के अन्दर** कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ में निम्नलिखित अभिलेखों एवं सूचनाओं के साथ उपस्थित हों, यदि वे निर्धारित समयावधि के अन्दर युक्ति-युक्त कारण के बिना योगदान नहीं करते हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त करने की कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा:-

(क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में घोषणा।

(ख) अपने कर्जदार होने न होने की घोषणा।

(ग) निज स्वामित्व की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा।

(घ) एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।

(ड़) अपने निजी विवरण।

(च) राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

(छ) राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

(ज) इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, 1993 के प्राविधानों को पढ़े जाने से सम्बन्धित घोषणा पत्र।

(झ) हाईस्कूल का प्रमाण पत्र।

(4) सम्बन्धित अभ्यर्थी निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय का शपथ-पत्र देंगे कि चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण/स्वघोषणा पत्र/अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता आदि के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने एवं उनके सम्बन्ध में कोई विधि विरुद्ध प्रमाणित तथ्य संज्ञान में आने की दशा में उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) उक्त पूरक/संशोधित परिणाम में विभाग परिवर्तन के फलस्वरूप ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में आने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्तियां मा0 उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या-(डी)475/2019 तथा विशेष अपील संख्या-(डी)278/2023 (नवीन संख्या-311(2023) तथा मा0 न्यायालय में विचाराधीन किसी अन्य वादों में पारित होने वाले में अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी।

नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से,
आनन्द प्रकाश सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या: तदैव, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, प्रयागराज, उ0प्र0 ।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी-**द्वारा**-निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
4. निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप में उल्लिखित शर्तों तथा संगत नियमों के अन्तर्गत समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
5. मुख्य अभियंता (पूर्वी/पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ०प्र०, लखनऊ-**द्वारा**-निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
6. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता-**द्वारा**- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज को राजकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु **द्वारा** निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9. कार्मिक अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

10. कार्मिक अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।

11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

1 य सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-13, उ0प्र0 शासन को उनके पत्र संख्या-232/27-13-2024, दिनांक 22.03.2024 के क्रम में उपरोक्त सहायक अभियन्ताओं को कार्यमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

13. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता **द्वारा** निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द प्रकाश सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।